



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1349/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 101
GOVT. SWAMI VIVEKANAND DEGREE COLLEGE
SHAMSABAD ROAD, BERASIA-BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विप्रबोधित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

MCOM-MANAGEMENT

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आव-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ० क्रमांक 1350/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ग.प्र. शासन मंत्रालय कलम भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभाषी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

कक्षांक
प्रति,

1349

/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक

20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 101
GOVT. SWAMI VIVEKANAND DEGREE COLLEGE
SHAMSABAD ROAD, BERASIA-BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता विग्राहित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है।-

BCOM-COMPUTER APPLICATION

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्षिक एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का निवमित आवोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

VN

भोपाल, दिनांक

20/5/17

पू०कक्षांक
प्रतिलिपि:-

1356

/अकादमी/संबद्धता/2017

1. अतिरिक्त संचालक, आबुल्ला, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभाषी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1355/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 230
KOPAL COLLEGE FOR EXCELLENCE
BARKHEDIKALAN NEELBAD ROAD, BHOPAL.
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपसन्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-HISTORY, BA-POLITICAL SCIENCE, BA-SOCIOLOGY, BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (90 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BSC-BIOTECHNOLOGY, BSC-BOTANY, BSC-CHEMISTRY, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-MATHEMATICS, BSC-MICROBIOLOGY, BSC-PHYSICS, BSC-ZOOLOGY, MA-HISTORY, MA-POLITICAL SCIENCE, (40 seat each sub.in M.Sc.) MSC-BOTANY, MSC-CHEMISTRY, MSC-ZOOLOGY, (25 seat each sub.in M.Sc.) PGDCA-PLAIN (90 seat)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मान्य जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ० क्रमांक 1358/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1359/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 232
EXTOL COLLEGE BAWARIYA KALAN
NEAR SHAHPURA THANA, BAWADIYA KALAN
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या पत्रिका की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विभाजित शर्तों के साथ प्रदान की जा रही है।

BBA-PLAIN, (90 seat) BCA-PLAIN, (90 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BCOM-TAX PROCEDURE AND PRACTICES, BSC-BIOCHEMISTRY, BSC-BIOLOGY, BSC-BIOTECHNOLOGY, BSC-BOTANY, BSC-CHEMISTRY, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-ELECTRONICS, BSC-INFORMATION TECHNOLOGY, BSC-MATHEMATICS, BSC-MICROBIOLOGY, BSC-PHYSICS, BSC-ZOOLOGY

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्षिक एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. छासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करके के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०कमांक 1360/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिनिधि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कलम भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1419/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 329
SANT HIRDARAM GIRLS COLLEGE
LAKE ROAD, SANT HIRDARAM NAGAR
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM HONS-PLAIN, BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BSC CLINICAL NUTRITION-PLAIN, BSC-BIOTECHNOLOGY, BSC-BOTANY, BSC-CHEMISTRY, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-MATHEMATICS, BSC-MICROBIOLOGY, BSC-PHYSICS, BSC-ZOOLOGY, MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT, MSC HOME SCIENCE-FOOD AND NUTRITION, MSC-BIOTECHNOLOGY, MSC-CHEMISTRY, MSC-COMPUTER SCIENCE, MSC-MATHEMATICS(25 seat each sub.in M.Sc.)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का निवर्तित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

अभिशासक,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पुनःक्रमांक 1420/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/बोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी दि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सह-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 151/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 501
M K PONDA COLLEGE OF BUSINESS AND
MANAGEMENT
LAMBAKHEDA, BERSASIA ROAD, BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (100 seat) BCA-PLAIN, (100 seat) BCOM HONS-PLAIN, (60 seat) BCOM-ADVERTISING, BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-FOREIGN TRADE PRAC AND PROC, BCOM-PLAIN, BCOM-PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGEMENT, BCOM-TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-MATHEMATICS, BSC-PHYSICS

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आव-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ०कमांक 151/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपरायि उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कलम भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1513 /अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 515
VIDYADAYINI INSTITUTE OF SCI MGT AND TECH
1-SAJJAN SINGH NAGAR RAISEN ROAD BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जावेगी।

BBA-PLAIN, (90 seat)BCA-PLAIN, (90 seat) BCOM-ADVERTISING, BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BCOM-PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGEMENT, BCOM-TAX PROCEDURE AND PRACTICES, BSC-BOTANY, BSC-CHEMISTRY

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उद्-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

5/16

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ० क्रमांक 1514 /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनायें।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

5/16





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 15/5 अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्रधान,

College Code: 518
KAILASH NARAYAN PATEL COLLEGE OF SCIENCE
MISROD BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जा रही है :-

BA-COMPUTER APPLICATION, BA-ECONOMICS, BA-HISTORY, BA-POLITICAL SCIENCE, BA-SOCIOLOGY, BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-PLAIN, BSC-BIOLOGY, BSC-CHEMISTRY, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-MATHEMATICS, BSC-PHYSICS, BSC-ZOOLOGY

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारीरिक स्वास्थ्य की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०कमांक 15/6 अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ग.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
6. वेबसाइट प्रभाषी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 15/7 अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 520
MAHARANA PRATAP COLLEGE
VILLAGE AMLA, AMARPURA ROAD, NEAR
RATIBAD, 462044
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विम्बोक्षित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है:-

BA-COMPUTER APPLICATION, BA-ECONOMICS, BA-ENGLISH, BA-HISTORY, BA-POLITICAL SCIENCE, BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM HONS-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-MARKETING AND ADVERTISING 

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०क्रमांक 51/8 अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी
SH





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1519/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्रत्यक्ष,

College Code: 527
IES COLLEGE OF EDUCATION
IES CAMPUS, KALKHEDA RATIBAD MAIN ROAD,
BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN(120 seat)

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ०क्रमांक 1520/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कलम भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1525/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्रचार्य,

College Code: 545
SAM COLLEGE
GRAM ADAMPUR CHAWANI RAISEN ROAD BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM HONS-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

अन्वेषानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पु0कमांक 1526/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय यल्लम भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेबसाईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

5/12





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1531/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 548
SANSKAR BHARTI VIDHYAPEETH
78, KATARA, BAGMUGALIYA EXT
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,
विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संवातित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BSC-BOTANY, BSC-CHEMISTRY, BSC-MATHEMATICS, BSC-PHYSICS, BSC-ZOOLOGY

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृष्ठक्रमांक 1532/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1541/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 570
LAXMIPATI COLLEGE
F-1 PATEL NAGAR RAISEN ROAD BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये निम्नानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्षिक एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का निवर्तित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचय 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ० क्रमांक 1542/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिनिधि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन संचालित कलम भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/नोपनीस/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

